

नोटिस

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार

पंत भवन, चतुर्थ तल्ला, पटना-800015

(अपील अधिकारिता)

अपील सं०-.....05.....वर्ष.....2020.....

.....अग्रणी होम्स प्रा० लि०अपीलार्थी

बनाम्

.....श्री मनोरंजन प्रसाद.....प्रत्यार्थी

अर्जीदार.....श्री मनोरंजन प्रसाद.....द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

सेवा में,

श्री आलोक कुमार

प्रबंध निदेशक

अग्रणी होम्स प्रा० लि०

मकान नं० 15, वार्ड नं० 1FA

पाटलीपुत्र कॉलोनी,

पटना-800013

आपको नोटिस दी जाती है कि उपर्युक्त अर्जीदार ने इस न्यायाधिकरण में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रति इसके साथ उपविद्ध है। आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक-15.06.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कारण दिखायें कि आपके द्वारा अभी तक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पारित आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है एवं क्यों नहीं भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 64 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

दिनांक-.....

निबंधक

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण

सेवा में,

चौधरी महाराज / श्री बंधक

(7)

श्री-संपदा अर्पण विम नामालय
पटना - बिहार

विषय - REAT APPEAL NO - 5/2020 (Ajjami Homes Pvt Ltd vs
Manojkumar Prasad)

गणेशगंज,

श्री श्री
Ajjami Homes

निवेदन पूर्वक कसम है कि मेरा case no - 5/2020
का आदेश दिनांक 03-03-2020 नई इसी नामालय
से लिए पारित है इसका है फीसों कि इसी
जमा गाड़ी जो कि इस नामालय में जमा है
उदा कृपया कलेक्टर के मुकदमे दि लवते
कि कृपया की जाए/ इसके लिए मैं सदा
आपका आभारी रहूंगा।

आपका विश्वासु
Manojkumar Prasad
श्री श्री श्री श्री

case no - 05/2020
dated - 16-03-2020
Mobile no - 8210408349